RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-09
September-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

''समावेशी शिक्षा के प्रति बी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन''

[1]उर्मिला शर्मा, [2]विजय सागर शर्मा

शोधार्थी (शिक्षा विभाग) जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 07 September 2018

Keywords
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक

ABSTRACT

एक विद्यार्थी के सन्दर्भ में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है। इन समस्याओं के कारण विद्यार्थी का विकास अवरूद्ध होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से अभावग्रस्त बच्चों का स्वाभाविक विकास बाधित होता जाता है। ये अभावग्रस्त बच्चे जो किन्हीं कारणों से सामान्य बच्चों के साथ नहीं रह पाते उनके साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धीरे–धीरे वे बच्चें मानसिक तोर पर पिछड़ जाते हैं। इसमें मुख्यतयः वे दिव्यांग बच्चे आते हैं जो शारीरिक विकलांग (बहरापन, अन्धापन), मानसिक विकलांग (मन्द, सामान्य, तीव्र) व कुसमायोजित होते हैं। अगर इन्हें सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जाता तो आगे चल कर इनकी यह नियोग्यता उन्हें अपराध प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा इन असमर्थ बच्चों को अन्य बच्चों के साथ शामिल किया जाता है। जिससे वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव, बहिष्कार, उपेक्षाओं से बचकर अपने स्वाभाविक विकास को प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा उन्हें संविधान की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। बी. एड़. स्तर पर भी इस विषय को लागू किया है। बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की इस विषय के प्रति अलग–अलग अभिवृत्ति को देखा गया है। इस गम्भीर विषय पर बी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना ही इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य है।

प्रस्तावना :

असमर्थ बच्चों को अन्य बच्चों के साथ शिक्षा में शामिल करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। आज शिक्षा में समानता, सहभागिता, स्वतन्त्रता, अधिकारों की चर्चाएं हो रही है। भारत में आज भी विकलांगता, आर्थिक विभेद, जातीय, अत्याचार, शोषण, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव जैसे तत्व पाये जाते हैं। अधिकारों व सामाजिक जागरूकता ने इन तत्वों का विरोध किया है। इन तत्वों के कारण आज हम ''मानव–विकास सूचकांक'' में भी काफी पीछे है। समावेशी शिक्षा के द्वारा इन विनाशकारी तत्वों के समाधानों को ढूंढा जा रहा है। समावेशन का अर्थ होता है– सम्मिलित करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय द्वारा ऐसी शिक्षा की पुर्नसंरचना की जाये जिसमें सभी समुदायों के बच्चों को शामिल किया जाये। राष्ट्र की नियमित शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को समाविष्ट करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। सामान्य अर्थों में समावेशी शिक्षा को केवल हम निःशक्तजनों की शिक्षा समझते हैं। पर समावेशी शिक्षा में निःशक्त की शिक्षा के साथ–साथ वे सभी बच्चे आते हैं जो समाज द्वारा किन्हीं कारणों से बहिष्कृत माने जाते हैं।

राष्ट्र के लक्ष्यपरक शैक्षिक उत्थान की दृष्टि से समावेशी शिक्षा शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहारों का समावेशन है। ''वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है।''

वॉलमैन – विकलांग, वर्ग, जाति विशेष, गरीब, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति एवं भौगोलिक कारकों के चलते शिक्षा से वंचित बालकों को सामान्य शिक्षा में शामिल करना समावेशन कहलाता है। इस शिक्षा के सामान्य शिक्षकों के साथ विशेष शिक्षकों, माता–पिता सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सकों की सहभागिता होती है। इन लोगों के सहयोग से वंचित बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है।''

उमा तुली – विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताएं : विशिष्ट बालकों में पाई जाने वाली विशिष्टता के कारण उन्हें सामान्य शिक्षा व्यवस्था व शिक्षण विधियों से विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। अतः विभिन्न विशिष्टताओं वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। शारीरिक दृष्टि से विकलांग अंधे, बहरे, गूंगे बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षित नहीं किया जा सकता उन्हें विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम, विधियों व शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से बुद्धिलब्धि अधिक होने

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

से सामान्य बालकों के साथ नहीं चल पाता। पिछड़े बालक लगातार असफल होने से, अपचारी बालक समायोजन की दृष्टि से सामान्य बालकों के साथ नहीं चल पाते है। इन्हें सामान्य बालकों के साथ–साथ अन्य आवश्यकताएं भी होती है।

विशेष आवश्यकताओं में विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। आज बी.एड. स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों को इस विषय से अवगत करवाया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों में इस विषय तथा इस प्रकार के बालकों की विशेष आवश्यकताओं की जानकारी देने के लिए बी.एड. स्तर पर पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया गया है। हर व्यक्ति में उसकी एक अलग प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति मानव जीवन का आधार होती है। हमारी प्रवृत्तियों मनोवृत्तियों का प्रभाव हमारे विचारों व भावनाओं पर पाया जाता है। हमारी स्वयं की अभिवृत्ति द्वारा हम किसी तथ्य के विषय में सोचते व महसूस करते हैं व वो ही कार्य करते हैं जो हमारी अभिवृत्ति द्वारा प्रभावित होते हैं।

बी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति :

बी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति से अर्थ उन प्रशिक्षणार्थियों की स्वयं की राय से होता है। किसी विषय के बारे में वे कैसा सोचते हैं यह अभिवृत्ति कहलाती है। अपने विचारों में अपने अनुसार चिन्तन करके किसी विषय के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक विचार प्रकट करना ही अभिवृत्ति कहलाता है। बी.एड़. प्रशिक्षणार्थी आज इस विषय के बारे में अलग–अलग राय रखते हैं। कुछ इस विषय का समावेशन अच्छा मानते है कुछ नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस विषय को अलग–अलग तरीके से बी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पसन्द व नापसन्द किया जाना ही उनकी अभिवृत्ति कहलाता है। बी. एड़. पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया गया है। इसके पीछे भेद रहित शिक्षा को अपनाना है। इस शिक्षा को बी.एड़. स्तर पर सम्मिलित करने से अध्यापकों में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा द्वारा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जा रही है। जिससे अपंग बालकों के पृथक्कीकरण का व्यावहारिक समाधान हो रहा है। समावेशी शिक्षा के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों का सामान्य बालकों के साथ रहने से उनकी मानसिक समस्याओं का समाधान हो रहा हे। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ सामान्य बालकों के रहने से सहयोग की भावना का विकास हो रहा है।

उद्देश्य :

1. बी.एड़. प्रशिक्षणार्थियों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. बी.एड़. प्रशिक्षणार्थी छात्रों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. बी.एड़. प्रशिक्षणार्थी छात्राओं की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :

1. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना – 1

तालिका–1

क्र.सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी मूल्य (t)	सार्थक अन्तर 0.05 = 0.02	निष्कर्ष
1	विद्यार्थी	50	72.98	16.84	1.56	0.05 =2.02	स्वीकृत
2	विद्यार्थी	50	77.44	11.26		0.01 =2.69	स्वीकृत

$df = N_1 + N_2 - 2$

$= 50 + 50 - 2 = 98$

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति में प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 72.98 व 77.44 तथा मानक विचलन 16.84 व 11.25 तथा टी. मूल्य 1.56 प्राप्त हुआ है। df के लिए टीका अपेक्षित मूल्य 0.05 स्तर पर 2.02 तथा 0.01 स्तर पर 2.69 है जबकि टी मूल्य 1.56 प्राप्त हुआ है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है। अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षणार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

परिकल्पना – 2

तालिका–2

क्र.सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी मूल्य (t)	सार्थक अन्तर 0.05 = 0.02	निष्कर्ष
1	छात्र	25	75.84	7.50	1.95	0.05 =2.02	स्वीकृत
2	छात्राएं	25	70.12	12.66		0.01 =2.69	

$df = N_1 + N_2 - 2$

$= 25 + 25 - 2 = 48$

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति में प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 75.84 व 70.12 तथा मानक विचलन 7.50 व 12.66 तथा टी. मूल्य 1.95 प्राप्त हुआ है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है। अर्थात् समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

परिकल्पना – 3

तालिका–3

क्र.सं.	समूह	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	टी मूल्य (t)	सार्थक अन्तर 0.05 = 0.02	निष्कर्ष
1	छात्र	25	74.12	10.91	4.26	0.05 =2.02	अस्वीकृत
2	छात्राएं	25	88.76	13.29		0.01 =2.69	

$df = N_1 + N_2 - 2$

$= 25 + 25 - 2 = 48$

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा के प्रति शहरी छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति में प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 74.12 व 88.76 तथा मानक विचलन 10.91 व 13.29 तथा टी. मूल्य 4.26 प्राप्त हुआ है। df के लिए टी का अपेक्षित मूल्य 0.05 स्तर पर 2.02 तथा 0.01 स्तर पर 2.69 प्राप्त हुआ है जबकि टी मूल्य 4.26 प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि सार्थकता के दोनों स्तरों से अधिक है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत होती है। शहरी क्षेत्र के छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

निष्कर्ष :

निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बी.एड. प्रशिक्षार्थियों की समावेशी शिक्षा की प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में एक समान पाई गई है अर्थात् ग्रामीण व शहरी सभी प्रशिक्षणार्थी समावेशी शिक्षा के प्रति एक समान अभिवृत्ति रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की छात्र व छात्राओं की अभिवृत्ति भी समान पाई गई है। परन्तु शहरी क्षेत्र के छात्र व छात्राएं समावेशी शिक्षा के प्रति एक समान अभिवृत्ति नहीं रखते हैं अर्थात् शहरी क्षेत्र के छात्र व छात्राएं समावेशी शिक्षा के प्रति अलग–अलग अभिवृत्ति रखते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. सरीन एण्ड सरीन (2009), अनुसंधान विधियां, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
2. शर्मा, मिनाक्षी, सक्सैना, बीनू (2016), समावेशी विद्यालयों का निर्माण राखी प्रकाशन, आगरा
3. ब्रीक, के जसवन्त, (2016), समावेशी विद्यालय की स्थापना, टवन्टीफर्स्ट, सेन्चुरी, पब्लिकेशन, पटियाला
4. ठाकुर यतीन्द्र (2017), समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन
5. शिवानी, अशोक (2017), समावेशी विद्यालय बनाना, जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर

© RRIJM 2015, All Rights Reserved